विहंगावलोकन

स्वदेशी डिजाइन/निर्मित गोलाबारूद की हानि

बड़ी मात्रा में स्वदेशी डिजाइन तथा निर्मित किए गए ₹ 408.06 करोड़ मूल्य के गोला-बारूद को पूरी तरह से अन्वेषण एवं विश्लेषण् करके उनकी असफलता का कारण निर्धारित किए बिना ही उन्हें अनुपयोगी घोषित कर दिया गया इसके परिणामस्वरूप ₹ 278.88 करोड़ मूल्य के गोला-बारूद का आयात हुआ।

(पैराग्राफ 2.5)

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन परियोजनाओं की संस्वीकृति में अनियमितताएं

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा जारी की गई परियोजना संस्वीकृतियों की लेखापरीक्षा जाँच से, लेखापरीक्षा को संस्वीकृतियाँ प्रेषित न किए जाने, जारी की गई संस्वीकृतियों का डाटाबेस न रखने, संस्वीकृति जारी करने वाले प्राधिकारी की भ्रामक पदनामावली होने, संस्वीकृतियों को टुकड़ो में बाँटने जिससे वह उनको सौंपी गई शक्तियों के अंदर आ सके आदि से संबंधित प्रक्रियागत अनियमितताओं का पता चला, जो संगठन की कार्यशैली में पारदर्शिता तथा उद्देश्यता के अभाव को इंगित करता है ।

(पैराग्राफ 6.3)

अनुसंधान और विकास स्थापना (इंजीनियर्स) में परियोजना प्रबन्धन

पिछले 15 वर्षो के दौरान आर.एण्ड डी.ई.(ई) द्वारा ली गई कर्मचारी परियोजनाओं के परीक्षण ने यह प्रकट किया कि 19 बंद कर्मचारी परियोजनाओं में से, सिर्फ 03 परियोजनाएँ उत्पादन के लिए गई, 02 परियोजनाएँ अंशत: परियोजना आवश्यकताओं को प्राप्त कर सकी तथा बाकी उपयोगकर्ताओं द्वारा स्वीकृत नहीं की गई । कई परियोजनाएँ इस कारण से असफल हुई क्योंकि इन्हें सामान्य कर्मचारी गुणात्मक आवश्यकता को स्थिर किए बिना ही शुरू किया गया था । तय समय से आगे बढ़ जाना, अनुपयुक्त सुपुर्दगी के योग्य विकास आदि ने परियोजनाओं के असफल होने में योगदान किया ।

(अध्याय 7)

गोला बारूद की अधिक आवश्यकता का निर्धारण

भंडार का आधिक्य होने के बावजूद, महानिदेशक आयुध सेवाएँ द्वारा निर्धारित आवश्यकता के आधार पर रक्षा मंत्रालय ने आयुध फैक्ट्री बोर्ड को गोला-बारूद की आपूर्ति के आदेशपत्र जारी कर दिए इसके अलावा उनके आयात के लिए "सैद्धान्तिक रूप" से भी अनुमोदन दिए गए। लेखापरीक्षा द्वारा सामायिक हस्तक्षेप से इस आदेशपत्र को रद्द किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 168.75 करोड़ की बचत हो सकी।

(पैराग्राफ 3.5)

रक्षा भूमि की गैरकानूनी बिक्री

डी.ई.ओ. मुम्बई द्वारा जारी अनियमित एन.ओ.सी. के आधार पर सेना अधिकारियों ने 1942 से अपने कब्जे वाली 5166 वर्ग मीटर भूमि जिसका मूल्य ₹ 5.94 करोड़ है, को एक निजी कम्पनी को दे दिया। केन्द्रीय आयुध डिपो, मुंबई, भूमि को राज्य सरकार अधिकारियों से अपने समर्थन में स्थानांतरण कराने में असफल रही । सेना मुख्यालय ने मामले का अन्वेषण एवं प्रतिवाद करने के बजाय कम्पनी को सैन्य-संस्थान के प्रतिवेश में विकास कार्य की स्वीकृति दे दी इस प्रकार सेना की सुरक्षा से समझौता किया गया।

(पैराग्राफ 2.2)

अहमदनगर छावनी बोर्ड में प्रवेश्य वाहनों पर लाइसेंस फीस न लेने से हानि

प्रधान निदेशक रक्षा सम्पदा, पुणे द्वारा छावनी बोर्ड़ अहमदनगर के प्रस्ताव जिसके अर्न्तगत छावनी बोर्ड में वाहन प्रवेश शुल्क के बदले में छावनी में प्रवेश करने वाले वाहनों पर लाइसेंस शुल्क लगाने के लिए सरकारी संस्वीकृति माँगी थी, उसे रोक लेने का अविवेकपूर्ण निर्णय लिया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.72 करोड़ के राजस्व की हानि हुई ।

(पैराग्राफ 2.3)

विनिमय दर परिवर्तन (ई.आर.वी.) के कारण अतिरिक्त भुगतान

रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया 2006 से स्पष्टत: विचलित होते हुए, मंत्रालय द्वारा विनिमय-दर परिवर्तन की गणना के लिए अनुचित आधार दर को अपनाया। इसके परिणामस्वरूप रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को एक उपस्कर जो सेना के लिए आयात की वस्तु थी, की खरीद पर ₹ 1.47 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा ।

(पैराग्राफ 2.4)

पुरानी ग्रॉन्ट स्थल/ पट्टे पर दी हुई रक्षा भूमि पर अवैध रूप से होटलों का निर्माण

24 कब्जा अधिकार धारक एवं12 पट्टा धारियों ने पंचमढी में पुरानी ग्रांट/पट्टे पर देने वाले स्थल जिन्हें आवासीय /दुकानों के प्रयोजन से दिया गया था, उनका सरकारी संस्वीकृति के बिना होटलों में रूपांतर कर दिया। रक्षा संपदा अधिकारी/ छावनी बोर्ड इस अवैध उपयोग को रोकने में असफल रही। बैरकपुर छावनी में भी समान मामले देखे गए।

(पैराग्राफ 2.7)

आर्मी वेलफेयर एजूकेशन सोसाईटी के लाभार्थ रक्षा सम्पत्तियों एवं मानवशक्ति का अनधिकृत उपयोग

रक्षा मंत्रालय के अक्तूबर 2000 और अक्तूबर 2001 के आदेशों का स्पष्ट गैर अनुपालन करते हुए, पुणे के सेना अधिकारियों ने रक्षा इमारतों को अवैध रूप से आर्मी पब्लिक स्कूल को उपयोग के लिए दिया एवं उनके मरम्मत/नवीनीकरण में ₹ 83.52 लाख खर्च किए। इसके अतिरिक्त, आर्मी वेलफेयर एजूकेशन सोसायटी के पेशेवर संस्थानों को चलाने के लिए 9 सेना

अधिकारियों की अनियमित रूप से नियुक्ति की तथा सोसायटी से उनके वेतन एवं भत्ते माह दिसम्बर 2005 से जनवरी 2012 तक ₹ 1.56 करोड़ की राशि भी वसूल नहीं की गई।

(*पैराग्राफ 3.1*)

फील्ड गन्स के लिए मोडुलर चार्ज प्रणाली के विकास में निष्फल व्यय

महानिदेशक तोपखाना की बनाई हुई योजना पर आधारित, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 105 एम.एम. और 130 एम.एम. गन में माड्यूलर चार्ज प्रणाली के विकास के लिए एक तकनीकी विकास परियोजना का जिम्मा लिया। हालांकि, परियोजना की समाप्ति होने पर, महानिदेशक तोपखाना ने इस तकनीकी में इसलिए अरूचि दिखाई क्योंकि इन गनों को संभवतः सेवानिवृत्त किया जाना था जिसके कारण इनके विकास पर ₹ 13.48 करोड़ का निष्फल व्यय किया गया।

(*पैराग्राफ 3.2*)

रक्षा भूमि के व्यवसायिक दोहन से सुरक्षा करने में मुख्यालय दक्षिणी कमान की विफलता

दक्षिणी कमान मुख्यालय ने निजी बिल्डर को रक्षा भूमि का वाणिज्यिक उपयोग करने की अनुमति दी जो कि छावनी भूमि प्रशासनिक नियमों का उल्लघंन था, पट्टे के मौलिक नियम तथा न्यायालय आदेशों के अनुसार भूमि को विवाहित आवास परियोजना के लिए आरक्षित रखने के बजाय निकृष्ट संपत्ति को स्वीकारने के कारण सेना के हितों के साथ समझैता किया गया।

(*पैराग्राफ 3.3*)

यथोचित एल-1 दरों की अस्वीकृति के कारण फालतू व्यय

पश्चिमी कमान के जी.ओ. सी-इन-सी द्वारा सैन्य टुकडी के लिए ताजा राशन खरीदने के लिए दिए गए तर्कसंगत निविदा को अस्वीकार करने के अविचारी क्रियाकलाप के कारण, ₹ 4.57 करोड़ के अतिरिक्त व्यय वाले संविदा को निर्णीत करने में देरी का कारण बना।

(*पैराग्राफ* 3.6)

लेखापरीक्षा की आपत्ति पर वसूलियां, बचतें एवं खातों में समायोजन किया जाना

लेखापरीक्षा टिप्पणियों के अनुसरण से लेखा परीक्षिती ने वेतन एवं भत्तों, विद्युत, चुंगी एवं फुटकर प्रभारों, रद्द की गई कार्य की संस्वीकृतियों और संशोधित वार्षिक खातों में हुए भुगतानाधिक्य से पुनः वसूली की, जिसमें ₹ 16.80 करोड़ का शुद्ध प्रभाव हुआ ।

(*पैराग्राफ 3.7*)

गैरीसन इंजीनियर कैम्पटी द्वारा जल-प्रभार का भुगतानाधिक्य

गैरीसन इंजीनियर, कैम्पटी दोषपूर्ण जल मीटरों की मरम्मत/ प्रतिस्थापना करने में असफल हुए और बिलों का भुगतान भी औसत उपभोग के आधार पर, जैसाकि समझौतें में लिखा गया था, करने के बजाय जल पम्पिंग के आधार पर करते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप नागपुर नगर निगम को ₹ 4.70 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया ।

(पैराग्राफ 4.1)

गैरीसन इंजीनियर, हिसार द्वारा जल-प्रभार का अधिक भुगतान

सैन्य अभियंता सेवाओं ने हरियाणा सरकार को सैन्य स्थल हिसार के लिए पानी निकालने के संबध में ₹ 12.92 करोड़ का अधिक भुगतान इस कारण किया क्योंकि वह इस मामले को राज्य सरकार के साथ सही श्रेणीकरण, जैसाकि राज्य के अन्य स्टेशनों पर किया जा रहा था, करवाने के लिए कर्मठतापूर्वक नही लगे रहे थे।

(पैराग्राफ 4.2)

घटिया बंकरों का निर्माण

उपयोगकर्ताओं द्वारा बार-बार इंगित किए जाने के बावजूद दुर्ग अभियंता द्वारा संतोषजनक समापन प्रमाण-पत्र जल्दबाजी में जारी किए जाने तथा सैन्य अभियंता सेवाओं के निरीक्षण अधिकारियों द्वारा उचित पर्यवेक्षण न किए जाने के कारण सुन्दरबेनी में ₹ 7.61 करोड़ की लागत के निम्नस्तरीय बंकरों का निर्माण हुआ। उनका निर्माण पूर्ण होने के तीन वर्षो के बाद भी बंकर दोषपूर्ण बने रहे

(पैराग्राफ 4.3)

ठेकेदार को अतिरिक्त भुगतान

मुख्य अभियंता कोलकाता जोन ने संविदा के प्रावधानों के विपरीत गोला-बारूद शेडों के निर्माण के एक कार्य में ठेकेदार को अतिरिक्त भुगतान आधार पर कंकरीट में एडमिक्सचर का प्रयोग करने की अनुमति दी जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 1.25 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया गया ।

(पैराग्राफ 4.4)

निम्नतम निविदाओं के अस्वीकरण के परिणामस्वरूप परिहार्य अतिरिक्त व्यय

सीमा सड़क संगठन ने उत्तरी कमान में सड़कों की सरफेसिंग/पटरी कार्यों से संबंधित निविदाओं को उनकी वैधता अवधि के अंदर अंतिम रूप देने के लिए दो मामलों के प्रसंस्करण में अनावश्यक रूप से लम्बा समय लिया जिसके कारण पुनः निविदा तथा उच्चतर दरें, जिनमें ₹ 3.01 करोड़ का अतिरिक्त व्यय सम्मिलित था, स्वीकार करनी पड़ी।

(पैराग्राफ 5.1)

आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ प्रदान करना

महानिदेशक सीमा सड़क ने रक्षा अधिप्राप्ति नियमपुस्तिका का उंल्लघन करने की बाबत लगे हरजाने को बिना सक्षम वित्तीय प्राधिकारी के अनुमोदन के माफ तथा वापस कर दिया, जिससे आपूर्तिकर्ता को ₹ 2.28 करोड़ का अनुचित लाभ पहुँचाया गया ।

(पैराग्राफ 5.2)

सामान की अधिप्राप्ति में परिहार्य अतिरिक्त व्यय

रक्षा धातुशोधन अनुसंधान प्रयोगशाला हैदराबाद ने डाई ब्लॉकस तथा डाई स्टेक पार्ट्स की अधिप्राप्ति के लिए, एल-। प्रस्ताव को वैधता अवधि के भीतर अंतिम रूप दिए जाने की पर्याप्त गुंजाईश होने के बावजूद, निविदाएँ पुनः जारी कर दी । इसके कारण ₹ 4.56 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ ।

(पैराग्राफ 6.1)

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा निष्फल निवेश

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन को आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए, उक्त सामान के विनिर्माण तथा आपूर्ति हेतु कोलकाता की एक केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान में ₹ 3.25 करोड़ निवेश करने का अविवेकी निर्णय संयंत्र चालू न होने के कारण वांछित परिणाम देने में असफल रहा । तथापि, संगठन की पूरी आवश्यकता (₹ 1.43 करोड़)खर्च करके प्राप्त की जोकि (₹ 3.25 करोड़) का 44 प्रतिशत है, संगठन के लिए निष्फल खर्च साबित हुई।

(पैराग्राफ 6.2)

आयुध फैक्ट्री संगठन का कार्यनिष्पादन

आयुध फैक्ट्री संगठन, जिसके अधीन 39 आयुध फैक्ट्रियाँ हैं, कुल 98914 की श्रमशक्ति के साथ, प्राथमिक रूप से देश की सशस्त्र सेनाओं के लिए, शस्त्र, गोलाबारूद, उपस्कर, वस्त्र आदि के उत्पादन में संलग्न है। वर्ष 2010-11 में कुल उत्पादन मूल्य ₹ 14012.11 करोड़ था जोकि वर्ष 2009-10 के ₹ 11817.89 करोड़ के उत्पादन मूल्य से 18.57 प्रतिशत अधिक था। 2010-11 के दौरान, हालांकि लक्ष्य प्राप्ति में 35 प्रतिशत (223 मद) की कमी हुई।

आयुध फैक्ट्री संगठन का कुल व्यय 2009-10 में ₹ 10812.10 करोड़ से बढ़कर 2010-11 में ₹ 10903.21 करोड़ हो गया। “ नवीकरण के लिए स्थानांतरण/प्रतिस्थापन निधी के अंतर्गत आवंटित ₹ 600 करोड़ के विरूद्ध,आयुध फैक्ट्री बोर्ड (ओ.एफ.बी)के निधि से केवल ₹ 207.94 करोड़,प्लांट और मशीनरी के प्रापण के लिए निकला।

आयुध फैक्ट्री बोर्ड ने 2010-11 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 2414.68 करोड़ (26.60 प्रतिशत) की कुल प्राप्तियों में वृद्धि दर्ज की। यद्यपि कुल प्राप्तियाँ सैन्य बल तथा दूसरे मांगकर्ताओं को 31 मार्च 2011 तक सामान के बिना वास्तविक निर्गम के डेबिट करने की गलत प्रथा के कारण ₹ 2210.48 करोड़ बढ़ी। इससे आयुध फैक्ट्री बोर्ड को 2010-11 में ₹ 587.56 करोड़ का आधिक्य दिखाने में सहायता मिली। ₹ 2210.48 करोड़ की बढ़ी

कीमतों के मुद्दे का समायोजन करने के बाद आयुध फैक्ट्री बोर्ड का 2010-11 के दौरान वास्तविक वृद्धि किये गए 29 प्रतिशत के दावे के विरूद्ध 2.25 प्रतिशत रही।

(पैराग्राफ 8.1)

आयुध फैक्ट्रियों द्वारा पिनाका रॉकेट लाँचर प्रणाली हेतु राकेट उत्पादन और जारी करने में विलम्ब

पिनाका बहु-नाली रॉकेट लांचर प्रणाली हेतु रॉकेटों के उत्पादन की परियोजना निर्धारित समय सूची से काफी पीछे है । उत्पादन प्रक्रिया में गुणवत्ता संबंधी समस्याओं के कारण **₹** 44.51 करोड़ के मूल्यों के 407 रॉकेटों एवं **₹** 4.25 करोड़ के प्रणोदक की हानि हुई। विशिष्ट समय अवधि के दौरान रॉकेटों के उत्पादन में निरंतर विफलताओं और अवरोधकों ने सेना इकाईयों को उनकी अधिष्ठापन योजना को कार्यरूप देने में देरी हुई।

(पैराग्राफ 8.2)

वाहन फैक्टरी जबलपुर में नई पीढी के वाहनों का उत्पादन

वाहन फैक्टरी जबलपुर जिसने ने मै0 अशोक लेलैंड लि0 (स्टेलियन) और मै0 टाटा मोटर्स लि0 (एलपीटीए) से प्रोधौगिकी हस्तांतरण के आधार पर दो नई पीढी के वाहनों के विनिर्माण का दायित्व संभालते हुए 59.04 प्रतिशत (स्टेलियन) एंव 51.58 प्रतिशत (एलपीटीए) के निर्धारित लक्ष्य का मात्र 17.46 प्रतिशत (स्टेलियन) एंव 16.63 प्रतिशत (एलपीटीए) ही अर्जित कर सकी । संयंत्र एंव मशीनों के समग्र अल्प-प्रयोग के परिणाम स्वरूप 2008-11 के बीच कुल **₹** 498.86 करोड़ के पुर्जो एंव संयोजनों की व्यापार से खरीद प्रापण हुई ।

(पैराग्राफ 8.3)

एक कीमती मशीन का अप्रवर्त्तन

इटली से आयतित एक मशीन के निर्माण एवं प्रवर्तन के लिए निर्धारित एक निर्दिष्ट समय को शामिल करने में भारी वाहन फैक्ट्री अवाड़ी की विफलता के कारण मशीन का अप्रवर्तन एवं **₹** 20.01 करोड़ के निवेश से **₹** 2.96 करोड़ के वार्षिक बचत का असंग्रहण हुआ।

(पैराग्राफ 8.4)

दोषपूर्ण उत्पादन के कारण गोला बारूद की अनुपयोगिता

सेना डिपो/यूनिटों में सामान्य रखरखाव से दुर्घटना होने के कारण मार्च 2007- नवम्बर 2008 के दौरान आयुध फैक्ट्री खमरिया द्वारा **₹** 6.04 करोड़ मूल्य के गोलाबारूद का विनिर्माण करके सेना को आपूर्ति किये गये गोलाबारूद को अप्रयोज्य (बेकार) घोषित कर दिया।

(पैराग्राफ 8.5)

पुराने संघटकों के साथ विस्फोटकों के निर्माण के कारण हानि

आयुध निर्माणी खामरिया ने गोलाबारूद फैक्ट्री खडकी द्वारा आपूर्तित पुराने संघटकों एवं विपथगामी विनिर्देश के साथ व्यापार द्वारा प्राप्त बेरियम क्रोमेट का प्रयोग विस्फोटकों के उत्पादन के लिए किया। इसके परिणाम स्वरूप जनवरी 2008-अक्तूबर 2009 के दौरान उत्पादित ₹ 4.64 करोड़ के डेटोनेटर को अस्वीकार कर दिया गया।

(पैराग्राफ 8.6)

आयुध फैक्ट्रियों द्वारा मांगकर्ताओं को अस्वीकृत मदों का निर्गम

पांच आयुध फैक्ट्रियों द्वारा ₹180.67 करोड़ की लागत वाले निम्न स्तरीय गोलाबारूद गृह मंत्रालय, राज्य पुलिस बल एवं केन्द्रीय पुलिस संस्थानों को आयुध फैक्ट्रियों के व्यक्तिगत प्रमाणपत्र के आधार पर निर्गम किए गए, जोकि गुणवत्ता नियंत्रण को सुनिश्चित करने वाले स्थायी निर्देशों का उल्लंघन कर रहे थे।

(पैराग्राफ 8.7)